<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना उत्तर पुलिस द्वारा गोपाल आश्रम बड़े हनुमान मंदिर व बजरंग नगर में हुई नकबजनी की घटनाओं का किया सफल अनावरण, दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटनाओं में चोरी गए माल सहित, आला नकब मय दो नाजायज तमंचे व कारतूस किये बरामद।</u>

- **<u>गिरफ्तार अभियुक्त हैं शातिर किस्म के नकबजन।</u>**
- **<u>दिन में रैकी कर बन्द मकानों व दुकानों को करते हैं चिह्नित।</u>**
- **<u>चोरी करते समय अवैध असलाहों को रखते हैं साथ।</u>**

दिनांक 19/20-01-2021 को बजरंग नगर मार्केट थाना उत्तर क्षेत्र में 04 दुकानों का शटर व ताले तोड़कर चोरी की घटना को अन्जाम दिया गया था तथा दिनांक 12-02-2021 को गोपाल आश्रम बड़े हनुमान मन्दिर परिसर में दानपात्रों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अन्जाम दिया गया था जिसके मौके पर पहुँचने पर मन्दिर के पुजारी भी अपने कमरे में मृत अवस्था में मिले थे जिसके कारण उक्त घटना अत्यन्त सनसनीखेज हो गयी थी। इस घटना को कारित करने वाले व्यक्तियों के कुछ सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे। इन घटनाओं के सम्बन्ध में क्रमशः मु0अ0सं0 36/2021 धारा 457,380 भादवि व मु0अ0सं0 102/2021 धारा 457,380 भादवि थाना उत्तर पर पंजीकृत किये गये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा उक्त घटनाओं का मौका मुआयना कर घटनाओं के सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में टीमें गठित करते हुए शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 15-02-2021 को थाना उत्तर पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए उक्त घटनाओं में संलिप्त दो शातिर अभियुक्तों को **रैपुरा रोड़ बम्बा चौराहा से गिरफ्तार** किया गया जिनके कब्जे से दो अदद देशी तमंचे 315 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस, आला नकब व 10 हजार रू0 बरामद हुए। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह बन्द दुकानों व मकानों की दिन में रैकी करते हैं और उन्हें चिह्नित कर रात्रि में चोरी करते हैं। गोपाल आश्रम व बजरंग मार्केट में हुई चोरी की घटनाओं का इकबाल किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1. सुमित उर्फ छोटे पुत्र महेन्द्र सिह बाल्मीक निवासी मायापुरी टापाकला थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद
2. करन उर्फ अर्जुन पुत्र बिजय कुमार बाल्मीक निवासी मायापुरी टापाकला थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद

<u>अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद माल –</u>

1. गोपाल आश्रम से चोरी गयी नकदी - 5200रु0।
2. बजरंग मार्केट से चोरी गयी धनराशि- 4800 रू0।
3. तमंचा नाजायज 315 बोर – 02 अदद।
4. जिन्दा कारतूस 315 बोर – 04 अदद।
5. ताला तोडने में प्रयुक्त लोहे की हथौड़ी- 01 अदद।
6. ताला व शटर तोडने में प्रयुक्त लोहे की रौड – 01 अदद।

<u>अभियुक्त सुमित उर्फ छोटे का आपराधिक इतिहास –</u>

1. मु0अ0सं0 102/21 धारा 457/380/411 भादवि , थाना उत्तर।
2. मु0अ0सं0 36/21 धारा 457/380/411 भादवि , थाना उत्तर।
3. मु0अ0सं0 107/21 धारा 398/401 भादवि, थाना उत्तर।
4. मु0अ0सं0 108/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0, थाना उत्तर।

<u>अभि0 करन उर्फ अर्जुन का आपराधिक इतिहास –</u>

1. मु0अ0सं0 102/21 धारा 457/380/411 भादवि , थाना उत्तर।
2. मु0अ0सं0 36/21 धारा 457/380/411 भादवि , थाना उत्तर।
3. मु0अ0सं0 107/21 धारा 398/401 भादवि, थाना उत्तर।
4. मु0अ0सं0 109/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0, थाना उत्तर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्र0नि0 श्री अनूप कुमार भारतीय, थाना उत्तर फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 श्री सचिन कुमार, चौकी प्र0 आगरा गेट, थाना उत्तर, फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार, चौकी प्र0 कोटला रोड, थाना उत्तर, फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 श्री जय सिंह, थाना उत्तर, फिरोजाबाद।
5. का0 68 विनोद कुमार, थाना उत्तर, फिरोजाबाद।
6. का0 81 आलोक राजपूत, थाना उत्तर, फिरोजाबाद।